प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 19.12.2025

- **जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, वादी श्री इरफान पुत्र मु० बक्स निवासी विष्णुबाग गाड़ीपुरा थाना कोतवाली इटावा जिला इटावा द्वारा थाना मंगलपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें दिनांक 30.09.2025 को अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री की शादी में दिये गये दहेज से संतुष्ट न होने पर अतिरिक्त दहेज में तीन लाख रुपये नगद व मोटर साइकिल की मांग करना, अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री नेहा की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0स0 342/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत कराया गया। थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अफशार उर्फ मुखिया पुत्र छुट्टन निवासी कस्बा व थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 19.12.2025 को कब्रिस्तान के पास कस्बा व थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. अफशार उर्फ मुखिया पुत्र छुट्टन उम्र 47 वर्ष निवासी कस्बा व थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मंगलपुर पुलिस।